

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

दूसरी मंजिल, जी.एस.आई. फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट -विधानसभा,
रायपुर -(ग.छ)-492005, टेलीफेक्स 0771-2282530, 2285595, Email-ro.raipur.ibm@gmail.com

स	CHG/RAP/LST-32/38MPR28001	दिनांक-	25/1/2017
---	---------------------------	---------	-----------

प्रेषित. खान प्रबन्धक
सॅचुरी सीमेंट चुना पत्थर खान
सर्वश्री सॅचुरी सीमेंट लिमिटेड
पोस्ट- बैकुंठ , जिला- रायपुर,
छत्तीसगढ़ - 493116

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित आपकी सॅचुरी सीमेंट चुना पत्थर खान 237.003 है में खनिज
संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-
महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 24/11/2016 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा खान प्रबन्धक की
उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के
निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
23(E)(2)	Yearly report for the year 2015-16 before 1st July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan have not been submitted to Regional controller of Mines , IBM, Raipur .

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 58 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बी.एल.गुर्जर)

उप खान नियंत्रक

प्रतिलिपि : -

- खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

(बी.एल.गुर्जर)

उप खान नियंत्रक